न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 97 / 2020

आरसीएमएस नं. 2020 / 00097

कृष्णलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 9 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. शेषकरण पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. बनवारी पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. रामचन्द्र पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. राजाराम पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. मनफूल पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. रामप्यारी पत्नी श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0।

--प्रत्यर्थीगण

8. शीलारानी पत्नी राजाराम पुत्री बृजलाल जाति बिश्नोई 50 एलएनपी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. शान्ति देवी पत्नी बुधराम पुत्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 4 एलकेएस बी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
10. राममूर्ती देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन करडवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
11. सुनील कुमार पुत्र श्री रोशनी देवी पत्नी नरसीराम जाति बिश्नोई साकिन 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगांगनगर।
12. सुमित कुमार पुत्री श्री रोशनी देवी पत्नी नरसीराम जाति बिश्नोई साकिन 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

––तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, दिनांक 30.01.2018
प्रकरण संख्या 204/2017, अनवान शेषकरण आदि बनाम रामप्यारी आदि

उपस्थितिः–

श्री सोहनलाल सुथार अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता रेस्पो0 1 से 6

राजस्व अपील अधिकारी 1

निर्णय दिनांक 18.X.22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट पेश किया कि प्रत्यर्थीगण हिन्दु उत्तराधिकार विधि के मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते हैं जो परस्पर सहदायिकी व सहअंशदायी हैं। प्रत्यर्थीगण संख्या 6 प्रतिवादीया के नाम खतोदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 6 एलकेएस के खाता संख्या 59/48 में में 2.176 है0 भूमि है राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एलकेएस के खाता संख्या 50/49 में 2.150 है0 अन कमाण्ड खातेदारी में से 0.963 है0 खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार दोनों खातो की कुल 3.139 है0 कृषि भूमि वादीगण/प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 5 की पैतृक कृषि है जो पूर्व में दादा व

राजस्व अपील प्राधिकारी

नाना छोगाराम के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उनके फौत होने के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। वादीगण ने वाद पत्र की मद संख्या 3 व 4 में वर्णित उक्त भूमि को वादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 प्रत्येका का 0.654 –0.654 है0 व वादी सं0 3 का 0.523 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने राजीनामा अनुसार वाद वादी डिक्री पेश किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर बिना पूर्ण रिकार्ड व साक्ष्य लिये व देखे किये गये होने के कारण निरस्तनीय है। भूमि को पैतृक होने के बावजूद बृजलाल के सजरा खानदान का हवाला नहीं होने व सजरा खानदान नहीं होने पर अपना पूर्ण विवेक का प्रयोग नही किया गया । मात्र राजीनामा को ही स्वीकार कर आदेश दिया गया है जो गलत है। अपीलार्थी बृजलाल का सबसे बड़ा लड़का है बृजलाल का सजरा खानदान में कुल 11 सदस्य हैं। वाद भूमि के तथ्यों से व रिकार्ड के अनुसार पैतृक होना साबित है जिसमें वृजलाल के सभी वारीसान का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है। अगर रामप्यारी अपना हक व हिस्सा त्याग करती है तो तामाम भूमि में सभी वारीसान का 1/10 हिस्सा हक बनता है अपीलार्थी का 1/10 हिस्सा हक वाजिब बनता है व जिसका प्रथ्यर्थीगण संख्या 1 ता 5 ने छुपाकर अपने नाम करवा लिया है। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 5 ने सभी बहनों को भी पक्षकार नही बनाया है इसिलए पक्षकारों का असंयोजन किया गया है इसिलए भी आदेश आरम्भ से शून्य है। अपीलार्थी रामपयारी का पुत्र है तथा बृजलाल के चार पुत्रीयां भी जिसमें एक पुत्री फौत हो चुकी है लेकिन मूल वाद में वादीगण प्रत्यर्थीगण ने मिन प्रार्थी व बहनों को पक्षकार नहीं बनाया तथा रामप्यारी को बहकाकर तमाम भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान वादीगन ने दिनांक 24.06.2020 को दी जब अपीलार्थी भूमि को काश्त करने गया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. प्रश्नगत भूमि पूर्व में छोगाराम के नाम दर्ज थी उनके स्वर्गवास होने के बाद भूमि वर्तमान में प्रतिवादी रामप्यारी के अकेले की नाम दर्ज हो गईं। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की माता है। चल 9 एलकेएस ए में 5.921 है0, 7 एलकेएस में 3.833 है0, 6 एलकेएस में .996 है0 भूमि जो पिता की भूमि में अपीलाण्ट का 1/6 हिस्सा है कुल 2.606 है0 है। अपीलाण्ट का भूमि में .525 है0 हिस्सा बनता है। समस्त सम्पति का घरा घरू बंटवारा हो गया था। लेकिन अपीलाण्ट के नाम हिस्सा से अधिक भूमि है दर्ज है। धारा 14 के तहत प्रतिवादीया अपनी भूमि अपने जीवनकाल में किसी को भी दे सकती है। प्रश्नगत भूमि मेरी स्वअर्जित है जिसे उसको किसी को भी देने का अधिकार है। रामप्यारी को बहकाकर तमाम भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया है ऐसा कोई साक्ष्य अपीलाण्ट ने पेश नहीं किया है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन राजीनामा के अनुसार पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या संख्या 1 ता 5 ने अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया था जो राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया गया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 6 रामप्यारी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 6 को अपने नाम से दर्ज भूमि को अपनी स्वच्छा से किसी को भी देने का अधिकार है। अपीलाधीन निर्णय आपसी राजीनामा नामा के आधार पर पारित किया गया है एवं राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि रेस्पेडेण्ट संख्या 1 के नाम से कुल 3.139 है0 भूमि में उसके सहमति से वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जो विधि सम्मत है। रामप्यारी को बहकाकर तमाम भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया है ऐसा कोई साक्ष्य अपीलाण्ट ने पेश नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 6 रामप्यारी के अकेले के नाम होने के कारण अपीधीन निर्णय से अपीलांट किसी तरह से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2018 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 18.X.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.X.22

(करतारसिह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 97 / 2020

आरसीएमएस नं. 2020 / 00097

कृष्णलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 9 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. शेषकरण पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. बनवारी पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. रामचन्द्र पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. राजाराम पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. मनफूल पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. रामप्यारी पत्नी श्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0।

–प्रत्यर्थीगण

8. शीलारानी पत्नी राजाराम पुत्री बृजलाल जाति बिश्नोई 50 एलएनपी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. शान्ति देवी पत्नी बुधराम पुत्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 4 एलकेएस बी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
10. राममूर्ती देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन करडवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
11. सुनील कुमार पुत्र श्री रोशनी देवी पत्नी नरसीराम जाति बिश्नोई साकिन 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगांगनगर।
12. सुमित कुमार पुत्री श्री रोशनी देवी पत्नी नरसीराम जाति बिश्नोई साकिन 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

——तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, दिनांक 30.01.2018
प्रकरण संख्या 204/2017, अनवान शेषकरण आदि बनाम रामप्यारी आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री सोहनलाल सुथार अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता रेस्पो0 1 से 6, की ओर से बहस समायत की जाकर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2018 यथावत रखे जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 18.12.22 को जारी की गई।

18.12.22

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़